

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

क्रमांक : एफ 5-1/2012/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 15 के उपनियम (6) से संलग्न परिशिष्ट 'ट' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परिशिष्ट - “ट”

(सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 15, 16, 16-ए एवम् 16-बी देखिए)

(अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम के आहरण के उपयोग हेतु)

भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम के आहरण हेतु

आवेदन-सह-स्वीकृति प्ररूप

(अभिदाता द्वारा भरा जाने वाला आवेदन)

- 1 अभिदाता का नाम
- 2 सामान्य भविष्य निधि का पूर्ण खाता क्रमांक
- 3 (क) अभिदाता का पदनाम
- (ख) अभिदाता की श्रेणी
- 4 अभिदाता के खाते में बकाया शेष
- (क) विगत वर्ष में रूपये
- (ख) विगत 2 वर्ष पूर्व का रूपये
- 5 अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम
आहरण की राशि रूपये
- 6 अस्थायी अग्रिम के बकाया का विवरण :-

अनुक्रमांक	आहरण का माह	आहरित की गई राशि रूपयों में	पुनर्भुगतान योग्य राशि रूपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)

7. आंशिक अंतिम के आहरण की दशा में :-

जिस वर्ष अग्रिम हेतु आवेदन किया जाता है, उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अभिदाता द्वारा आहरित अग्रिम एवं आंशिक अंतिम आहरण का पूर्ण विवरण - - - - -

दिनांक / /20.....

अभिदाता के हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति

- 1 स्वीकृत राशि (शब्दों में) रूपये -----
- 2 आहरण/स्वीकृति का प्रकार (अस्थाई अग्रिम या आंशिक अंतिम आहरण) -----
- 3 नियम जिसके अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है -----
- 4 लेखाशीर्ष जिसमें राशि डेबिट की जावेगी -----
- 5 यह प्रमाणित किया जाता है कि इस स्वीकृति हेतु आवश्यक समस्त शर्तों की पूर्ति कर ली गई है ।

दिनांक / /20.....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदनाम.

(2) नियम 16-ए में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1)(क) कोई अभिदाता, यदि वह चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को आहरण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अन्त में उसके खाते में बकाया शेष राशि के पचहत्तर प्रतिशत से अनधिक आहरण की स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के समय उसके खाते में जमा राशि की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

टिप्पणी:- इस नियम के अधीन कोई आहरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यदि उसी समय नियम 15 के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

(ख) उपनियम (1)(क) में अधिकथित की गई सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अभिदाता को किसी वित्तीय वर्ष में केवल दो बार आहरण हेतु अनुज्ञात किया जाएगा ।


(ग) उपनियम (1)(क) के अधीन आहरण स्वीकृत करने हेतु नियम 15 के उपनियम (8) में यथा उल्लिखित अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे.”.

(3) नियम 16-बी में, -

(एक) उपनियम (1) एवं (2) का लोप किया जाए ।

(दो) उपनियम(3)(क) में, शब्द तथा कोष्ठक “उपनियम(1)” के स्थान पर, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक “नियम 16-ए (1)” स्थापित किए जाएं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, date 1st December, 2012

No. F/5-1/2012/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh General Provident Fund Rules, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- (1) for Appendix "K", appended to sub-rule (6) of rule 15, the following Appendix shall be substituted, namely:-

APPENDIX - "K"

(See rule 15, 16, 16-A and 16-B of GPF rules)

(To be used for temporary advance/ part final withdrawal)

Form of Application-Cum-Sanction for Temporary Advance/Part Final withdrawal from Provident Fund account

(Application to be filled in by the subscriber)

1. Name of the Subscriber -----
2. G.P.F. Account number in full -----
3. (a) Designation of Subscriber -----
(b) Class of Subscriber -----
4. Balance at the credit of the Subscriber.
(a) On preceding year Rupees -----
(b) On 2nd preceding year Rupees -----
5. Amount of temporary advance/part final withdrawal Rupees -----
6. Details of outstanding temporary advances.

Serial No.	Month of drawal	Amount drawn in Rs.	Amount still to be repaid in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)

7. In the case of part final withdrawal :-

Full details of advance and part final withdrawal drawn by subscriber immediately preceding the year in which the advance is applied for.-----

Date-----20---

Signature of the Subscriber

PTO

SANCTION BY THE COMPETENT AUTHORITY

1. Amount hereby sanctioned Rs.-----
(in words)-----
2. Nature of withdrawal/sanctioned
(temporary advance or part final) -----
3. Rule under which the sanction is accorded. -----
4. Head of account to which the amount is to be debited. -----
5. It is certified that all the conditions required to be fulfilled for this sanctions have been satisfied .

Dated-----20

Signature of the sanctioning authority and
Designation.

(2) In rule 16-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) (a) A subscriber may, if he so desires apply in the prescribed form, to the competent authority for withdrawing from the balance to his credit an amount not exceeding seventy five percent to the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year of withdrawal within the limit of balance to his credit at the time of sanction .

Note:- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 15 has been sanctioned at the same time.

- (b) Only two withdrawal in any financial year shall be allowed to the subscriber, subject to the limits laid down in sub-rule (1)(a).
- (c) The competent authority to sanction withdrawal under sub-rule (1) (a) shall be as mentioned in sub-rule (8) of rule 15."

(3) In rule 16 -B,-

- (i) sub-rule (1) and (2) shall be omitted
- (ii) In sub-rule (3)(a), for the words and brackets "sub-rule (1)", the words, letter and bracket "rule 16-A (1)" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,




(Manish Rastogi)
Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

क्रमांक : एफ 5-1/2012/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
21. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग